



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 427/अका./2023

रायगढ़, दिनांक 06/10/2023

// अधिसूचना //

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्र. एफ 3-19/2023/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03.10.2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा-38 (2) में निहित प्रावधान अंतर्गत शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ के अध्यादेश क्र. Examinations (General) -06 में प्रस्तावित किये गए संशोधन का अनुमोदन माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा किया गया है।

उपरोक्तानुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई शैक्षणिक सत्र 2022-23 की मुख्य/वार्षिक परीक्षा, मार्च-अप्रैल 2023 में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में अधिकतम दो विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पूरक (Supplementary) की पात्रता प्रदान किया जाता है।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार

कुलसचिव (प्रभारी)

रायगढ़, दिनांक 06/10/2023

पृ.क्र. 428/अका./2023
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन रायपुर, को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महादनी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
4. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
6. उप कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
7. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
8. समस्त विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
9. संपादक, दैनिक समाचार पत्र को सूचनार्थ। कृपया छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अपने समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें
10. कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी (अका.)